न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 06/2018

राजस्थान सरकार जरिये योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, महवा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

श्री हनुमान सिंह कण्डेरा पुत्र श्री. दामोदर सिंह कण्डेरा निवासी तहसील रोड महवा जिला दौसा
..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी उपस्थित।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 27.4.2022

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक महवा, जिला दौसा द्वारा दिनांक 31.5.2018 को जब्तशुदा एक घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. गैस का कुल वजन 10 किलोगाम, एक छोटा गैस सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम, एक गैस रिफलिंग मोटर व एक गैस रिफलिंग करने का औजार (बांसुरी) राजसात करने हेतु निवेदन किया गया था।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। विभागीय पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी है कि प्रवर्तन निरीक्षक महवा श्री योगेश कुमार मिश्रा, द्वारा दिनांक 24.5.2018 को थाना परिसर महवा में पुलिस द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करते हुए थाना परिसर महवा में डिटेन कर रखे गये गैस सिलेण्डरों की मौके पर जाकर जांच करने एवं डिटेन कर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी ली गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना महवा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक महवा को तहरीर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 24.5.2018 को मुताबिक सूचना के मारूती वैन गाडी में घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर से रिफलिंग करते हुए श्री हनुमान सिंह कण्डेरा पुत्र श्री दामोदर सिंह कण्डेरा निवासी तहसील रोड महवा जिला दौसा को पकड कर डिटेन कर थाना महवा पर डिटेन किये हुए है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्यवाही की जावे। प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा मौके पर थाना परिसर महवा में डिटेन कर उपस्थित व्यक्ति श्री हनुमान सिंह कण्डेरा (अप्रार्थी) ने बताया कि वह मजदूरी करने वाला गरीब व्यक्ति है। वह रामगढ रोड महवा स्थित श्री गुडडू जैन की दुकान पर काम करता है। वाहनों में गैस भरने के लिए एलपीजी गैस सिलेण्डर (वाणिज्यिक एवं घरेलू) दुकान मालिक श्री गुड्डू जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.25 10:30:19 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 02 पर

द्वारा ही उपलब्ध कराये जाते है। पकडे गये सामान सिलेण्डर, गैस रिफलिंग मोटर बांसुरी (गैस रिफलिंग करने का औजार का देशज नाम) आदि के मालिकाना हक से उसका कोई लेना देना नहीं है। मौके से प्राप्त एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर इण्डेन कंपनी क0सं0 966266 टी खाली वजन 15.8 किलोग्राम कुल वजन 25.8 किलोग्राम गैस का शुद्ध वजन 10 किलोग्राम, एक छोटा एलपीजी गैस सिलेण्डर खाली व भरा वजन 4.1 किलोग्राम गैस का वजन 0 किलोग्राम गैस रिफलिंग मोटर तथा एक गैस रिफलिंग करने का औजार (बांसुरी) श्री हनुमान सिंह कण्डेरा से अधिग्रहित कर निर्णय तक श्री छोटूराम मीना पुत्र श्री कन्हैया मीना प्रो0 सांथा इण्डेन गैस एजेन्सी को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार श्री हनुमान सिंह कण्डेरा पुत्र दामोदर कण्डेरा निवासी तहसील रोड महवा द्वारा सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, मोटर वाहन में सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग का कार्य करने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खंड 3, 4, 6 व 7 का उल्लेघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस का कुल वजन 10 किलोग्राम, एक छोटा गैस सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम, एक गैस रिफलिंग मोटर व एक रिफलिंग करने का औजार (बांसुरी) को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस थाना महवा द्वारा जब्तशुदा वस्तुओं से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी के यहां से कोई वस्तु पुलिस थाना महवा द्वारा जब्त नहीं की गई है। उक्त जब्तशुदा वस्तुएं राजसात करने मे प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 24.5.2018 को मारूती वैन में घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते हुए श्री हनुमान सिंह कण्डेरा पुत्र दामोदर सिंह कण्डेरा निवासी तहसील रोड महवा जिला दौसा को डिटेन किया जाकर मौके से एक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, एक छोटा गैस सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम, एक गैस रिफलिंग मोटर व एक गैस रिफलिंग करने का औजार (बांसुरी) बरामद किया गया। एलपीजी गैस घरेलू सिलेण्डर से वाहन में अवैध रूप से रिफलिंग करना व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order, 2000 के क्लॉज 3(C) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो [illegible] वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत दण्डनीय अपराध [illegible] प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना [illegible] समझते है।

उपरोक्त विवेचन के [illegible] 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा घरेलू एक एलपीजी गैस सिलेण्डर, एक छोटा गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.25 10:30:19 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 03 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0पत्र सं0 06/2018

सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम, एक गैस रिफलिंग मोटर व एक गैस रिफलिंग करने का औजार (बांसुरी) राजसात **(Confiscate)** किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा को मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। जिला रसद अधिकारी दौसा राजसात की गई वस्तुओं का निर्धारित मापदंडो के अनुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 27.04.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.25 10:30:19 IST
Reason: SelfAttested